**SPEED POST**

सत्यमेव जयते

**Government of India**
**National Commission for Scheduled Tribes**

**6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan**
**Khan Market, New Delhi-110 003.**

File No. PSP/10/2017/MPNG1/SEOTH/RU-I

Date: 11 /04/2018

To

The Chairman,
Indian Oil Corporation Ltd.,
3079/3 JB Tito Marg,
Sadiq Nagar,
New Delhi – 110049.

**Sub:** Representation dated 12/07/2017 received from Shri Pramod Singh Porte, C/o Mein Ma Pitambera Service Station, Goraghat, District - Datiya, Madhya Pradesh regarding the permission to sale diesel Petrol from Petrol Pump.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 14/03/2018 on the above mentioned subject for immediate necessary action. Action Taken Report in this regard may be submitted to the Commission at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Shri Pramod Singh Porte,
C/o Mein Ma Pitambera Service Station,
Goraghat, District - Datiya,
Madhya Pradesh.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble ~~Member (HCV)~~ Vice Chairperson., NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PSP/10/2017/MPNG1/SEOTH/RU-I)

श्री प्रमोद सिंह पोर्ते का अनुसूचित जनजाति वर्ग मे प्राप्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप निरस्त करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 14.03.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री प्रमोद सिंह पोर्ते ने अनुसूचित जनजाति वर्ग मे प्राप्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप दुर्भावनावश निरस्त किए जाने के मामले मे दिनांक 12.07.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया.
2. अभ्यावेदक ने आवेदन मे लिखा कि उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्ग मे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप प्राप्त हुई है। दिनांक 22.11.2016 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के कुछ अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदक की अनुपस्थिति मे डीजल पेट्रोल का नमूना जांच हेतु लिया गया था। इसके जांचोपरांत नमूने को मानक स्तर का नही होना बताकर दिनांक 13.12.2016 से पेट्रोल पंप को विक्रय अधिकारी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. ग्वालियर द्वारा बंद कर दिया गया है। अभ्यावेदक का आरोप है कि इस प्रकार विधिक प्रतिनिधि की अनुपस्थिति मे नमूना ले जा कर मानक स्तर का नही होना बताया जा रहा है साथ ही इस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, यह न्यायसंगत नही है। उन्होने आगे यह भी उल्लेख किया है कि उनके पंप का

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

डीजल सही है, क्योंकि डीजल की रेफरेंस डेनसिटी और वास्तविक डेनसिटी मे अंतर नही आया है। मात्र डीजल नमूने मे सल्फर की मात्रा बढ़ रही है। उन्होने यह आशंका व्यक्त की है कि इसका कारण नमूने जिन एल्यूमिनियम कंटेनरों मे ली गई है उनकी सफाई सही तरीके से नही होने के कारण भी सल्फर की मात्रा बढ़ी हो सकती है।

3. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 06.02.2018 को एक नोटिस भेजकर अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा।
4. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर मे महाप्रबंधक, रिटेल सेल, एचओ, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का दिनांक 16.02.2018 का पत्र प्राप्त हुआ।
5. आयोग ने अभ्यावेदक को महाप्रबंधक, रिटेल सेल, एचओ, इंडियन ऑयल का र्पोरेशन लि. के दिनांक 16.02.2018 को प्रेषित पत्र से दिनांक अवगत कराया।
6. अभ्यावेदक श्री प्रमोद सिंह पोर्ते ने दिनांक 03.01.2018 को आयोग मे उपस्थित होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के दिनांक 16.02.2018 को प्रेषित पत्र के उत्तर से असंतुष्टि जाहिर करते हुए रिज्वाइंडर प्रस्तुत किया। आयोग ने इस पर दिनांक 28.02.2018 को एक नोटिस जारी कर 06.02.2018 को एक नोटिस भेजकर अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. को इस मामले मे दिनांक 14.03.2018 को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया.
7. आयोग में चर्चा के लिए मुख्य महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ; महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ; महाप्रबंधक (रिटेल सेल) एमपीएसओ उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री प्रमोद सिंह पोर्ते इस चर्चा मे उपस्थित नही हुये, क्योंकि आयोग द्वारा प्रेषित पत्र उन्हे समय पर प्राप्त नही हुआ। किन्तु उन्होने एक पत्र ईमेल द्वारा दिनांक 13.03.2018 को आयोग मे प्रेषित किया जिसमे उन्होने उल्लेख किया कि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. की जांच रिपोर्ट से असन्तुष्ट होकर एमडीजी गाइडलाइन के अनुसार नमूनों की पुनः जांच कराये जाने हेतु अभ्यावेदक ने निवेदन किया था जिसे स्वीकार कर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. द्वारा दिनांक 26.12.2016 को पत्र के माध्यम से अभ्यावेदक को सूचित किया गया कि दिनांक 04.01.2017 को नमूनों की पुनः जांच निषादपुरा भोपाल मे की जाएगी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उक्त तिथि को नमूनों की जांच की गई जिसमे डीलर रिटेनशन तथा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. रिटेनशन दोनों अमानक स्तर पर पाये गए। इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी जो उत्पाद डीलर को दे रही है वही डीलर विक्रय कर रहा है। यह बातें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पत्र मे भी लिखी गई है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पत्र दिनांक 02.02.2017 के द्वारा अभ्यावेदक को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया गया। स्पष्टीकरण का जवाब दिनांक 28.02.2017 को अभ्यावेदक द्वारा दिया गया। स्पष्टीकरण का जबाब प्रस्तुत होने के 45 दिवस के अवधि के अंदर कंपनी को स्पीकिंग ऑर्डर पास करने का निर्णय लिया जाना चाहिए जो कि एमडीटी /12 के नियमो मे दिया गया है, परंतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा डीलरशिप निरस्त करने का निर्णय 10 माह बाद लिया गया। उसके बाद दिनांक 04/11/2017 को एमडीजी /2012 मे संशोधन हुआ है उसकी कापी प्रदान की गई उस पत्र के आखिरी कॉलम मे 10 दिवस का समय देकर कारण बताओ नोटिस का जबाब देने हेतु निर्देशित किया गया था। कारण बताओ नोटिस का जबाब 28/02/2017 को पूर्व मे ही दिया गया था। दिनांक 14/12/2017 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा डीलरशिप निरस्त करने का पत्र भेजा गया जिसमे डाइरेक्टर एच. आर. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड - 3079/3, सादिक़ नगर, जे. बी. टी. टो. मार्ग नई दिल्ली मे 30 दिवस के अंदर अपील करने का पत्र प्राप्त हुआ । डीलर द्वारा डायरेक्टर एच. आर. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड सादिक़ नगर नई दिल्ली, को 10 जनवरी 2018 को उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दिया है । दिनांक 05/02/2018 को वरिष्ठ प्रबन्धक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड डिवीजनल कार्यालय भोपाल से मै मिलने के लिया गया तो उनके द्वारा मुझे पुनः अपील करने हेतु एक पत्र दिया गया जिसमे डॉ. एस. एस. वी. रामा कुमार निदेशक (आर & डी) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड आर & डी सेंटर फरीदाबाद आर & डी सेंटर सेक्टर 13, फरीदाबाद, हरियाणा को मैंने पुनः अपील की प्रति 07/02/2018, को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया। इस तरीके से जान बुझकर मुझे परेशान किया जा रहा है। अपील प्रस्तुत किए हुये लगभग ढाई माह व्यतीत हो गया है किन्तु कंपनी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही पंप हेंडओभर करने हेतु बार-बार

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

वरिष्ठ प्रबन्धक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा बार-बार पत्र लिखा जा रहा है किन्तु अभी तक मैंने पंप हेंडओभर नहीं किया है। उन्होने आयोग को अवगत कराया कि डीजल पेट्रोल के क्रय के मद मे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पास अभ्यावेदक का लगभग 750000 रुपये बकाया है, इसका भुगतान भी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. नही कर रहा है। इसके अलावा उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि अनुसूचित जनजाति के योग्य डीलरों को लगातार प्रताड़ित करते हुये दुर्भावनावश उनकी डीलरशिप निरस्त की जा रही है। पत्र मे उन्होने अनुसूचित जनजाति वर्ग के डीलरों की एक सूची प्रस्तुत की जिनकी डीलरशिप इसी तरह निरस्त की गई है। यह सूची इस प्रकार है-

1. श्री मांगी लाल सरयाम, पीएनटी चौराहा, भोपाल, एचपीसीएल
2. सुश्री टोप्यो अकोदिया, शाजापुर, एचपीसीएल
3. कर्मा फिलिंग करेरा, शिवपुरी, आईओसीएल
4. श्री समुंदर सिंह, गायत्री फिलिंग, एकलहरा, नरसिंहगढ़, राजगढ़, एचपीसीएल
5. श्री कीर्ति नीलकंठ, डोलारभाटा, पंधाना, खंडवा, एचपीसीएल

8. आयोग ने अभ्यावेदन के विषय मे उपस्थित अधिकारियों से प्रकरण मे जानना चाहा इस पर मुख्य महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक श्री प्रमोद सिंह पोर्ते को अनुसूचित जनजाति वर्ग मे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के पेट्रोल पंप की डीलरशिप प्राप्त हुई है। अभ्यावेदक के पेट्रोल पंप से दो सदस्यीय समिति के द्वारा नमूने लिए गए थे जिनहे परीक्षण के लिए भेजा गया जहां नमूने मे सल्फर की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। अभ्यावेदक के अनुरोध पर दुबारा परीक्षण किया गया उसमे भी नमूने परीक्षण पर खरे नही उतरे। इसके आधार पर दिनांक 02.02.2017 को अभ्यावेदक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।इसके साथ ही

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अभ्यावेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया और दिनांक 15.06.2017 को प्राधिकृत अधिकारी के पास बुलाया गया। कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अभ्यावेदक के जवाब इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. संतोषजनक नही पाये गए। इस कारण मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन एमडीजी-2012 तथा डीलरशिप एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत इनकी डीलरशिप दिनांक 14.12.2017 से निरस्त की गई।

**9.** आयोग ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के अधिकारियों से जानना चाहा कि यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के डीलर की डीलरशिप निरस्त होती है तो उसकी जगह वह डीलरशिप किसे दी जाती है? मुख्य महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ ने आयोग को बताया कि ऐसे डीलरशिप को एक वर्ष के लिए किसी सक्षम डीलर को दी जाती है जो सामान्य श्रेणी का भी हो सकता है।

**10.** आयोग ने यह भी जानना चाहा कि यदि एक बार किसी डीलर डीलरशिप निरस्त होती है तो ऐसी परिस्थिति मे उक्त डीलर के पास क्या विकल्प बचता है? मुख्य महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ ने इस संबंध मे जानकारी दी कि संबन्धित डीलर निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) को इस संबंध मे अपील कर सकता है।

**11.** आयोग ने मामले की सुनवाई के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की है-

i. अभ्यावेदक ने निदेशक (अनुसंधान एवं विकास) के पास अपील दाखिल की है जिसकी एक प्रति आयोग को भी प्रेषित की है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. तत्काल इस पर सुनवाई करे तथा निर्णयन हेतु अपील अधिकारी के साथ एक अन्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी को भी शामिल करें।

ii. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात यह पाया है कि अभ्यावेदक के पेट्रोल पंप से जो नमूना लिया गया उस समय अभ्यावेदक उपस्थित नही थे, साथ ही लिए गए नमूने की जांच से अभ्यावेदक संतुष्ट नही है क्योंकि उन्हे ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यावेदक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग अनुशंसा करता है कि अभ्यावेदक के मामले मे निष्पक्ष जांच करते हुये चेतावनी देकर इनकी डीलरशिप को पुनः बहाल की जाय।

iii. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. अभ्यावेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची मे सम्मिलित उन सभी डीलरों की डीलरशिप निरस्तीकरण के कारणों सहित विवरण से आयोग को अवगत कराएं।

iv. किसी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग की डीलरशिप यदि किसी कारण से निरस्त होती है तो वह किसी अन्य वर्ग को न देकर अनुसूचित जनजाति के ही अन्य सक्षम व्यक्ति को दी जाय।

v. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. आयोग को उपरोक्त अनुशंसाओं के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट के साथ एक सांख्यिकीय विवरण निम्नलिखित प्रारूप मे 30 दिन के अंदर उपलब्ध करायें:-

| विवरण | अनुसूचित जनजाति वर्ग | अनुसूचित जाति वर्ग | ओबीसी वर्ग | सामान्य |
|---|---|---|---|---|
| कितने डीलरों से नमूने लेकर जांच कराई गई है? | | | | |
| जांच मे कितने नमूने सफल हुए हैं? | | | | |
| असफल नमूनों के आधार पर कितनी डीलरशिप निरस्त की गई है? | | | | |

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- PSP/10/2017/MPNG1/SEOTH/RU-I)

श्री प्रमोद सिंह पोर्ते का अनुसूचित जनजाति वर्ग मे प्राप्त इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. की डीलरशिप निरस्त करने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
3. श्रीमती के.डी. बंसोर, परामर्शक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री एच. आर. मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

**इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. के अधिकारी**

1. श्री एस. के. डे, मुख्य महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ
2. श्री मुकेश धीमान, महाप्रबंधक, (रिटेल सेल) एचओ
3. श्री पदम पांडे, (रिटेल सेल) एमपीएसओ